



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274290  
CG-DL-E-08072026-274290

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 543]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सं. 27/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 601(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 69 और 69क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"69.	(i) टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाले पाउडर ड्रायर; (ii) टैरिफ मद 8479 82 00 के अधीन आने वाली स्वचालित फीडिंग और ब्लेंडिंग प्रणाली; (iii) टैरिफ मद 8413 70 96 के अधीन आने वाली स्लरी ट्रांसफर प्रणाली; (iv) टैरिफ मद 8424 89 90 के अधीन आने वाली कैथोड एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन; (v) टैरिफ मद 8424 89 90 के अधीन आने वाली एनोड एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन; (vi) टैरिफ मद 8420 10 00 के अधीन आने वाली कैथोड कम्प्रेसन (कोल्ड प्रेस); (vii) टैरिफ मद 8420 10 00 के अधीन आने वाली एनोड कम्प्रेसन (कोल्ड प्रेस); (viii) उप-शीर्ष 8414 10 के अधीन आने वाले उच्च वैक्यूम पंप; (ix) टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली नेगेटिव इलेक्ट्रोड स्वचालित उत्पादन मशीन; (x) टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिक प्लेट मशीन; (xi) टैरिफ मद 8479 81 00 के अधीन आने वाली पूर्णतः स्वचालित वाइंडिंग मशीन; (xii) टैरिफ मद 8479 81 00 के अधीन आने वाली सेमी-ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन; (xiii) टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली ऑटो ईएल फिलिंग मशीन; (xiv) टैरिफ मद 8419 39 00 के अधीन आने वाली लिथियम के लिए हीटिंग और प्रेसिंग मशीन; (xv) टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली ऑटो डिगैसिंग सीलिंग मशीन; (xvi) टैरिफ मद 8422 40 00 के अधीन आने वाले डार्ड मोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक कॉइन सेल क्रिम्पर; (xvii) टैरिफ मद 8477 80 90 के अधीन आने वाले हैंड हेल्ड इलेक्ट्रोड कटर; (xviii) टैरिफ मद 8514 39 00 के अधीन आने वाले वैक्यूम पम्प के बिना वैक्यूम ओवन; (xix) टैरिफ मद 8464 90 00 के अधीन आने वाली इलेक्ट्रोड स्लिटिंग मशीन;	लिथियम आयन सेल"।

(xx)	टैरिफ मद 8418 69 90 के अधीन आने वाले इवेपोरेटर री-सर्कुलेटिंग चिलर;
(xxi)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली ओसीवी परीक्षण मशीन;
(xxii)	टैरिफ मद 8543 70 99 के अधीन आने वाली एनएमपी ट्रेपिंग प्रणाली;
(xxiii)	टैरिफ मद 8465 99 90 / 8479 89 99 के अधीन आने वाली ऑटो-ट्रेपिंग मशीन;
(xxiv)	टैरिफ मद 8422 40 00 के अधीन आने वाली ऑटो-पैकिंग मशीन;
(xxv)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली माइलर स्लिटिंग मशीन;
(xxvi)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली ऑटो मैगजीन लोड मशीन;
(xxvii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली स्थिर तापमान क्षमता वाली मशीन;
(xxviii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली सेपरेटर कोटिंग मशीन;
(xxix)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली रोलर क्लीनिंग मशीन;
(xxx)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली फॉर्मेशन मशीन;
(xxxii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली स्वचालित ट्रेपिंग मशीन;
(xxxiii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली स्टैकिंग मशीन;
(xxxiv)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली सेपरेटर ट्रिमिंग मशीन;
(xxxv)	टैरिफ मद 8515 80 90 / 8515 21 90 के अधीन आने वाली टैब ट्रांसफर वेल्डिंग और वाइडिंग मशीन;
(xxxvi)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली अल्ट्रासोनिक ट्रे सफाई मशीन;
(xxxvii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली गैस्केट स्वचालित सफाई मशीन;
(xxxviii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली फिल्म / माइलर टियरिंग मशीन;
(xxxix)	टैरिफ मद 8428 90 90 के अधीन आने वाली ऑटो अनलोडिंग मशीन;
(xl)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली माइलर स्लिटिंग मशीन;
(xli)	टैरिफ मद 8462 39 00 / 8464 90 00 के अधीन आने वाली फॉयल स्लिटिंग मशीन;
(xlii)	टैरिफ मद 8421 39 90 के अधीन आने वाले धूल संग्राहक;
(xliii)	टैरिफ मद 8422 40 00 के अधीन आने वाली इलेक्ट्रोड पैकिंग मशीन;
(xliv)	टैरिफ मद 8479 89 99 / 8479 81 00 के अधीन आने वाली इलेक्ट्रोड रिवाइडिंग मशीन;
(xlv)	टैरिफ मद 8420 10 00 के अधीन आने वाली कैलेंडर प्रिंटिंग मशीन;

(xlv)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली इलेक्ट्रोलाइट टैपिंग मशीन;
(xlvi)	टैरिफ मद 8465 99 90 / 8465 96 00 के अधीन आने वाली स्ट्रिप टेप मशीन;
(xlvii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली मिक्सिंग या एगिटेटिंग सबस्टेंसेज मशीन;
(xlviii)	टैरिफ मद 8462 39 00 के अधीन आने वाली एल्युमिनियम फॉयल बैग एज कटिंग मशीन;
(xlix)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन;
(l)	टैरिफ मद 8465 96 00 के अधीन आने वाली सेल स्लाइसिंग मशीन;
(li)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली सॉल्वेंट रिकवरी प्रणाली;
(lii)	टैरिफ मद 8414 59 90 के अधीन आने वाली हीट रिकवरी प्रणाली;
(liii)	टैरिफ मद 8421 21 90 के अधीन आने वाली अपशिष्ट उपचार प्रणाली;
(liv)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन मशीन;
(lv)	उप-शीर्ष 8479 89 / 9031 80 के अधीन आने वाली हीलियम इंजेक्शन मशीन;
(lvi)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली नेल इंसर्टिंग मशीन;
(lvii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली नेल पुलिंग मशीन;
(lviii)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली इंजेक्शन होल क्लीनिंग मशीन;
(lix)	टैरिफ मद 8419 89 90 के अधीन आने वाली सेल बेकिंग एवं कूलिंग मशीन;
(lx)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली जेली रोल पेयरिंग मशीन;
(lxi)	टैरिफ मद 8422 40 00 के अधीन आने वाली माइलर रैपिंग मशीन;
(lxii)	टैरिफ मद 8479 89 99 / 8479 90 90 के अधीन आने वाली सेल सॉर्टिंग लाइन;
(lxiii)	टैरिफ मद 8468 20 10 के अधीन आने वाली लेजर पिन वेल्डिंग;
(lxiv)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली लेजर नॉचिंग और वाइडिंग;
(lxv)	टैरिफ मद 8515 80 90 के अधीन आने वाली अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग;
(lxvi)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली लोड इन कैन;
(lxvii)	टैरिफ मद 8515 80 90 के अधीन आने वाली टॉप कवर लेजर वेल्डिंग;
(lxviii)	टैरिफ मद 9031 80 00 के अधीन आने वाला पहला हीलियम परीक्षण;

(lxix)	टैरिफ मद 9031 80 00 के अधीन आने वाला दूसरा हीलियम परीक्षण;
(lxx)	टैरिफ मद 8515 80 90 के अधीन आने वाले वायर फीडिंग और रीवर्क;
(lxxi)	टैरिफ मद 8428 33 00 के अधीन आने वाली सेल एजिंग मशीन;
(lxxii)	टैरिफ मद 8543 70 99 के अधीन आने वाली नेगेटिव प्रेशर फॉर्मेशन;
(lxxiii)	उप-शीर्ष 9030 39 / 8543 90 के अधीन आने वाली सेल फॉर्मेशन - सेल क्षमता और एसओसी;
(lxxiv)	टैरिफ मद 9030 39 00 के अधीन आने वाली सेल फॉर्मेशन - डीसीआईआर;
(lxxv)	टैरिफ मद 3923 10 90 के अधीन आने वाले सेल फॉर्मेशन - सेल ट्रे प्लास्टिक;
(lxxvi)	टैरिफ मद 7616 99 10 के अधीन आने वाले सेल फॉर्मेशन - सेल ट्रे मेटैलिक;
(lxxvii)	उप-शीर्ष 7304 41 के अधीन आने वाली सेल फॉर्मेशन - फॉर्मेशन मशीन;
(lxxviii)	उप-शीर्ष 3923 90 / 7326 90 के अधीन आने वाले सेल फॉर्मेशन - अन्य ट्रे;
(lxxix)	उप-शीर्ष 9031 80 / 9022 19 के अधीन आने वाली फिल्म रैपिंग और अंतिम निरीक्षण;
(lxxx)	टैरिफ मद 8468 20 10 के अधीन आने वाली टैप टू टॉप कैप वेल्डिंग;
(lxxxii)	उप-शीर्ष 7308 90 के अधीन आने वाली फाइबर तापमान जांच प्रणाली;
(lxxxiii)	उप-शीर्ष 8424 89 के अधीन आने वाली जल छिड़काव प्रणाली;
(lxxxiv)	उप-शीर्ष 7308 90 के अधीन आने वाले रैक;
(lxxxv)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली टेप कोडिंग;
(lxxxvi)	टैरिफ मद 8479 89 99 के अधीन आने वाली वायर फिलिंग और वेल्डिंग मशीन

[फा. सं. 190354/81/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 82(अ), तारीख 1 फरवरी, 2026 द्वारा अधिसूचना सं. 01/2026-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2026

**No. 27/2026-Customs**

**G.S.R. 601(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/2002-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, namely: -

In the said notification, in the TABLE, for S. Nos. 69 and 69A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“69.	(i) Powder Dryer falling under tariff item 8479 89 99; (ii) Automatic Feeding and Blending System falling under tariff item 8479 82 00; (iii) Slurry Transfer System falling under tariff item 8413 70 96; (iv) Cathode Extrusion Coating Machine falling under tariff item 8424 89 90; (v) Anode Extrusion Coating Machine falling under tariff item 8424 89 90; (vi) Cathode Compression (Cold Press) falling under tariff item 8420 10 00; (vii) Anode Compression (Cold Press) falling under tariff item 8420 10 00; (viii) High Vacuum Pump falling under sub-heading 8414 10; (ix) Negative Electrode Automatic Production Machine falling under tariff item 8479 89 99; (x) Negative Electrode Automatic Plate Machine falling under tariff item 8479 89 99; (xi) Fully Automatic Winding Machine falling under tariff item 8479 81 00; (xii) Semi-Automatic Winding Machine falling under tariff item 8479 81 00; (xiii) Auto EL Filling Machine falling under tariff item 8479 89 99; (xiv) Heating and Pressing Machine for Lithium falling under tariff item 8419 39 00; (xv) Auto Degassing Sealing Machine falling under tariff item 8479 89 99; (xvi) Electric Coin Cell Crimper with Die Mould falling under tariff item 8422 40 00; (xvii) Hand Held Electrode Cutter falling under tariff item 8477 80 90; (xviii) Vacuum Oven without Vacuum Pump falling under tariff item 8514 39 00; (xix) Electrode Slitting Machine falling under tariff item 8464 90 00; (xx) Evaporator Re-circulating Chiller falling under tariff item 8418 69 90; (xxi) OCV Testing Machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxii) NMP Trapping System falling under tariff item 8543 70 99; (xxiii) Auto-taping machine falling under tariff item 8465 99 90 / 8479 89 99; (xxiv) Auto-packing machine falling under tariff item 8422 40 00; (xxv) Mylar sticking machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxvi) Auto magazine load machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxvii) Constant temperature capacity machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxviii) Separator coating machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxix) Roller cleaning machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxx) Formation machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxxi) Automatic tapping machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxxii) Stacking machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxxiii) Separator trimming machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxxiv) Tab transfer welding & winding machine falling under tariff item 8515 80 90 / 8515 21 90; (xxxv) Ultrasonic Tray cleaning machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxxvi) Gasket automatic cleaning machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxxvii) Film / Mylar tearing machine falling under tariff item 8479 89 99; (xxxviii) Auto unloading Machine falling under tariff item 8428 90 90; (xxxix) Mylar slitting machine falling under tariff item 8479 89 99; (xl) Foil slitting machine falling under tariff item 8462 39 00 / 8464 90 00; (xli) Dust collector falling under tariff item 8421 39 90; (xlii) Electrode packing machine falling under tariff item 8422 40 00;	Lithium Ion Cell”.

<ul style="list-style-type: none"> <li>(xliii) Electrode rewinding machine falling under tariff item 8479 89 99 / 8479 81 00;</li> <li>(xliv) Calender printing machine falling under tariff item 8420 10 00;</li> <li>(xlv) Electrolyte tapping machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(xlvi) Strip Tape machine falling under tariff item 8465 99 90 / 8465 96 00;</li> <li>(xlvii) Mixing or agitating substances machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(xlviii) Aluminium foil bag edge cutting machine falling under tariff item 8462 39 00;</li> <li>(xlix) Ultrasonic cleaning machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(l) Cell slicing machine falling under tariff item 8465 96 00;</li> <li>(li) Solvent Recovery System falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lii) Heat Recovery System falling under tariff item 8414 59 90;</li> <li>(liii) Effluent Treatment System falling under tariff item 8421 21 90;</li> <li>(liv) Electrolyte injection machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lv) Helium Injection Machine falling under sub-heading 8479 89 / 9031 80;</li> <li>(lvi) Nail Inserting Machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lvii) Nail Pulling Machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lviii) Injection hole cleaning machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lix) Cell Baking &amp; Cooling Machine falling under tariff item 8419 89 90;</li> <li>(lx) Jelly Roll Pairing Machine falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lxi) Mylar Wrapping Machine falling under tariff item 8422 40 00;</li> <li>(lxii) Cell Sorting Line falling under tariff item 8479 89 99 / 8479 90 90;</li> <li>(lxiii) Laser Pin Welding falling under tariff item 8468 20 10;</li> <li>(lxiv) Laser Notching &amp; Winding falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lxv) Ultrasonic welding falling under tariff item 8515 80 90;</li> <li>(lxvi) Load in Can falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lxvii) Top cover laser welding falling under tariff item 8515 80 90;</li> <li>(lxviii) 1st Helium test falling under tariff item 9031 80 00;</li> <li>(lxix) 2nd Helium test falling under tariff item 9031 80 00;</li> <li>(lxx) Wire feeding and rework falling under tariff item 8515 80 90;</li> <li>(lxxi) Cell ageing Machine falling under tariff item 8428 33 00;</li> <li>(lxxii) Negative Pressure Formation falling under tariff item 8543 70 99;</li> <li>(lxxiii) Cell Formation - Cell capacity and SOC falling under sub-heading 9030 39 / 8543 90;</li> <li>(lxxiv) Cell Formation -DCIR falling under tariff item 9030 39 00;</li> <li>(lxxv) Cell Formation -Cell Tray plastic falling under tariff item 3923 10 90;</li> <li>(lxxvi) Cell Formation -Cell Tray Metallic falling under tariff item 7616 99 10;</li> <li>(lxxvii) Cell Formation - Formation Machine falling under sub-heading 7304 41;</li> <li>(lxxviii) Cell Formation - Other Trays falling under sub-heading 3923 90 / 7326 90;</li> <li>(lxxix) Film wrapping and final inspection falling under sub-heading 9031 80/ 9022 19;</li> <li>(lxxx) Tap to top cap welding falling under tariff item 8468 20 10;</li> <li>(lxxxi) Fibre temperature Detection System falling under sub-heading 7308 90;</li> <li>(lxxxii) Water sprinkler system falling under sub-heading 8424 89;</li> <li>(lxxxiii) Rack falling under sub-heading 7308 90;</li> <li>(lxxxiv) Tape Coding falling under tariff item 8479 89 99;</li> <li>(lxxxv) Wire filling and welding machine falling under tariff item 8479 89 99</li> </ul>	
---	--

[F. No. 190354/81/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note:** - The principal notification No. 25/2002-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, and was last amended *vide* notification No. 01/2026-Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2026, *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2026.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274288  
CG-DL-E-08072026-274288

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 542]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सं. 25/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 600(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 781(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, तारीख 24 अक्तूबर, 2025, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी I में, क्रम सं. 296 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"296क.	3919 90 90 या 8529 90 90	<p>निम्नलिखित माल, जो ऑटोमोटिव, चिकित्सा या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए शीर्ष 8524 के अधीन आने वाली डिस्प्ले असेम्बलियों के विनिर्माण में उपयोग के लिए है, अर्थात्:-</p> <p>(i) सेल; (ii) फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेम्बली (एफपीसीए); (iii) बैकलाइट यूनिट; (iv) फ्रेम; (v) एनिसोट्रॉपिक कंडक्टिव फिल्म (एसीएफ)।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, ऑटोमोटिव, चिकित्सा या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिस्प्ले असेम्बलियों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात्:-</p> <p>(i) सेलुलर मोबाइल फोन या कलाई में पहने जाने वाले उपकरणों (आमतौर पर स्मार्ट वॉच के नाम से जाना जाता है) की डिस्प्ले असेम्बली; (ii) स्मार्ट मीटरों के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) या एलसीडी के लिए बैक लाइट; (iii) एलसीडी और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल; (iv) इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल:</p> <p>परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।</p>	शून्य	-	3"।

[फा. सं. 190354/81/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**टिप्पण:-** मूल अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, तारीख 24 अक्टूबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 781(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 358(अ), तारीख 12 मई, 2026 द्वारा अधिसूचना सं. 15/2026-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

## No. 25/2026-Customs

**G.S.R. 600(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2025-Customs, dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, namely: -

In the said notification, in TABLE I, after S. No. 296 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"296A.	3919 90 90 or 8529 90 90	The following goods for use in the manufacture of display assemblies (falling under heading 8524) for automotive, medical or industrial applications, namely: - (i) Cell; (ii) Flexible Printed Circuit Assembly (FPCA); (iii) Backlight Unit; (iv) Frame; (v) Anisotropic Conductive Film (ACF).  <b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, display assemblies for automotive, medical or industrial applications shall not include, - (i) Display assembly of cellular mobile phones or wrist wearable devices (commonly known as smart watches); (ii) Liquid Crystal Display (LCD) or Back light for LCD of smart meters; (iii) LCD and Light Emitting Diode (LED) TV panels; (iv) Interactive Flat Panel Display (IFPD) Module:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect after 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	3".

[F. No. 190354/81/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, and was last amended *vide* notification No. 15/2026-Customs, dated the 12<sup>th</sup> May, 2026 *vide* number G.S.R. 358(E), dated the 12<sup>th</sup> May, 2026.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274288  
CG-DL-E-08072026-274288

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 542]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सं. 25/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 600(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 781(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, तारीख 24 अक्तूबर, 2025, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी I में, क्रम सं. 296 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"296क.	3919 90 90 या 8529 90 90	<p>निम्नलिखित माल, जो ऑटोमोटिव, चिकित्सा या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए शीर्ष 8524 के अधीन आने वाली डिस्प्ले असेम्बलियों के विनिर्माण में उपयोग के लिए है, अर्थात्:-</p> <p>(i) सेल; (ii) फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेम्बली (एफपीसीए); (iii) बैकलाइट यूनिट; (iv) फ्रेम; (v) एनिसोट्रॉपिक कंडक्टिव फिल्म (एसीएफ)।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, ऑटोमोटिव, चिकित्सा या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिस्प्ले असेम्बलियों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात्:-</p> <p>(i) सेलुलर मोबाइल फोन या कलाई में पहने जाने वाले उपकरणों (आमतौर पर स्मार्ट वॉच के नाम से जाना जाता है) की डिस्प्ले असेम्बली; (ii) स्मार्ट मीटरों के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) या एलसीडी के लिए बैक लाइट; (iii) एलसीडी और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल; (iv) इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल:</p> <p>परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।</p>	शून्य	-	3"।

[फा. सं. 190354/81/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**टिप्पण:-** मूल अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, तारीख 24 अक्तूबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 781(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 358(अ), तारीख 12 मई, 2026 द्वारा अधिसूचना सं. 15/2026-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

## No. 25/2026-Customs

**G.S.R. 600(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2025-Customs, dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, namely: -

In the said notification, in TABLE I, after S. No. 296 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"296A.	3919 90 90 or 8529 90 90	The following goods for use in the manufacture of display assemblies (falling under heading 8524) for automotive, medical or industrial applications, namely: - (i) Cell; (ii) Flexible Printed Circuit Assembly (FPCA); (iii) Backlight Unit; (iv) Frame; (v) Anisotropic Conductive Film (ACF).  <b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, display assemblies for automotive, medical or industrial applications shall not include, - (i) Display assembly of cellular mobile phones or wrist wearable devices (commonly known as smart watches); (ii) Liquid Crystal Display (LCD) or Back light for LCD of smart meters; (iii) LCD and Light Emitting Diode (LED) TV panels; (iv) Interactive Flat Panel Display (IFPD) Module:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect after 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	3".

[F. No. 190354/81/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note:** -The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2025, and was last amended *vide* notification No. 15/2026-Customs, dated the 12<sup>th</sup> May, 2026 *vide* number G.S.R. 358(E), dated the 12<sup>th</sup> May, 2026.